आदेश

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है, कि पी0सी0डी0एफ0लि0 एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, (दुग्ध संघ) की सेवा से सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त एवं पदच्युत किये गये कार्मिकों को संविदा/श्रम संविदा के माध्यम से विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा सेवा/कार्य पर रखा जा रहा है। यह प्रक्रिया नियमानुकूल न होने के साथ ही साथ संस्थाहित के विपरीत है एवं संस्था के लिए अनार्थिक भी है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त संस्थाहित में प्रदेश के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0/पी0सी0डी0एफ0लि0 में अग्रिम आदेशों तक पी0सी0डी0एफ0लि0 एवं दुग्ध संघ से सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त एवं पदच्युत किये गये कार्मिकों की किसी भी रूप में नियुक्ति को प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर रखने का नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर दुग्ध आयुक्त/निबंधक के अनुमोदनोपरान्त कार्मिक कार्य पर लिये जा सकते है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
दुग्ध आयुक्त/निबन्धक
दुग्ध सहकारी समितियाँ, उ0प्र0
लखनऊ।

कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 82-86/दुग्ध-2/जन0/2019-20 दिनांक 30 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रबन्ध कमेटी/अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0। (द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघ)
2- समस्त प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
3- समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0 लखनऊ।
6. वेबसाइट की साइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
दुग्ध आयुक्त/निबन्धक
दुग्ध सहकारी समितियाँ, उ0प्र0
लखनऊ।

इरस्या-19
दि0-02-5-19

श्री दीपक राठौर
कृ0 आ0 का0 करायें।

03/05/19

आदेश

उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 में दोष सिद्ध होने पर दोषी कार्मिकों पर शास्ति, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विनियम–84(1) में बिन्दु संख्या–क से छ तक में से किसी द्वारा दण्ड प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 के विनियम–84(1) में उल्लिखित उपखण्ड क से घ के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेशों की अपील सेवा नियमावली–1975 के विनियम–86 में उल्लिखित प्राधिकारियों के समक्ष किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है। उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 में विनियम–84(1) के उपखण्ड ङ से छ के अधीन विनियम–87 के अधीन शास्ति आरोपित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 में विनियम–84(1) के उपखण्ड ङ से छ के अधीन आरोपित शास्ति की अपील किये जाने की कोई व्यवस्था उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 में उपलब्ध नहीं है।

पी0सी0डी0एफ0 लि0 (शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति), केन्द्रीय व प्रारम्भिक दुग्ध समितियों के कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 के विनियम–84(1) की व्यवस्था के अन्तर्गत उपखण्ड–ङ से छ के अधीन शास्ति आरोपित करने की अपील दुग्ध आयुक्त/निबंधक दुग्ध सहकारी समितियॉ उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 में, सहकारिता अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–2295 दि0 07–12–2002 के माध्यम से जोडे गये विनियम–106 में, राज्य सरकार अथवा निबन्धक को, कार्मिको के वेतन, सेवा शर्तें, नियुक्ति या पुर्ननियुक्ति, सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाये जाने आदि मामलो मे किसी प्रकार की विसंगति को दूर करने हेतु आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अतः उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 के विनियम–87 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध आयुक्त/निबन्धक द्वारा पूर्वानुमोदन दिये जाने के पश्चात विनियम–84 के खण्ड–1 के उपखण्ड–ङ से छ के अन्तर्गत निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी कार्मिक द्वारा यदि अपनी अपील दुग्ध आयुक्त/निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली–1975 के विनियम–106 में प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत दुग्ध आयुक्त/निबन्धक द्वारा नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत नियमानुसार अपील को स्वीकार किया जायेगा।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
दुग्ध आयुक्त/निबंधक,
दुग्ध सहकारी समितियॉ, उ0प्र0
लखनऊ।

कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 61-75 /दुग्ध–2/जन0/केन्द्रीयत सेवा संवर्ग/ दिनांक 29 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष प्रशासनिक समिति, उ0प्र0 कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, लखनऊ और दुग्ध संघ केन्द्रीयत सेवा संवर्ग प्रकोष्ठ पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड लखनऊ
2– महाप्रबन्धक (प्रशा0/कार्मिक), पी0सी0डी0एफ0लि0, मुख्यालय लखनऊ।
3– समस्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
4– उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, (विधि) मुख्यावास।
5– समस्त मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– विशेष सचिव दुग्ध विकास अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन।
7– निबंधक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वेबसाइट को साईट पर अपलोड करें हेतु।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
दुग्ध आयुक्त/निबंधक,
दुग्ध सहकारी समितियॉ, उ0प्र0
लखनऊ।

कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

पत्रांक-- /दु0परि0/वित्त दिनांकः 02 मई,2019

आदेश

श्री श्रीनिवास, दुग्धशाला विकास अधिकारी को पदेन संयुक्त सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद नामित करने विषयक आदेश संख्या--1020--25, दिनांक 6--3--2019 को निरस्त करते हुये उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, लखनऊ के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से विशेष सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद के पद पर किसी अधिकारी की तैनाती होने तक श्री श्रीनिवास, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग को विशेष सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद के कार्यो को सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। श्री श्रीनिवास, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो हेतु उत्तरदायी होगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
सचिव/दुग्ध आयुक्त।

पत्रांक--91-96 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- श्री श्रीनिवास, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, मुख्यालय।
2-- अनुसचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-- समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
4-- प्रभारी (वित्त), उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद।
5-- वैयक्तिक सहायक, अपर दुग्ध आयुक्त/दुग्ध आयुक्त, मुख्यालय।
6-- बेव मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि इसे विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
नोडल अधिकारी।

9/c EDP 03/05/19

संख्या-20 दि0-03-5-19

श्री दीपक राठौर
कृ0 आ0 का0 करायें।
03/05/19
प्रभारी ई0डी0पी0